

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.4/2014/SDR-Vol.1

Dated : 3<sup>rd</sup> April, 2014

To

The Chief Electoral Officer,  
Jharkhand,  
Ranchi.


Subj: Star Campaigners- clarification.

Sir,

Please refer to your letter No. 1365 dated 24-03-2014. The points raised in your letter are clarified as follows :-

- (i) If the list of Star Campaigners is received either in the Commission or by the CEO within the prescribed time limit ( i.e. within seven days from the date of notification for the election), it can be treated as substantial compliance with the provisions of Explanation-2 under Section 77(1) of Representation of the People Act, 1951. For calculating the period of 7 days, the date of issue of notification may be excluded. It should, however, be noted that only the list of names received from the Central office of the party shall be entertained.
- (ii) A recognized National Party may give a common list of Star Campaigners for the whole country, a group of States, or State-wise for different States.
- (iii) A recognized State Party can submit a list of 40 leaders for the State in which it is recognized as a State Party. In the other States, where it is not recognized, the party can submit a list of maximum of 20 leaders as Star Campaigners.

Yours faithfully,

  
(ASHISH CHAKRABORTY)  
SECRETARY

Copy to the Chief Electoral Officers of all States and Union Territories.

G.F

---

**INSTRUCTION SI. No. 147**

ECI letter No. 437/6/INST/2016/CCS dated 27.12.2016 addressed to the President/General Secretary of All recognised National and State political parties.

**Sub: Instruction regarding Election Manifestos- reg.**

As you are aware that on the direction of the Hon'ble Supreme Court, the Commission had after consultation with recognized political parties, framed guidelines for Election Manifestos and incorporated the same in the "Model Code of Conduct for the Guidance of the Political Parties and Candidates". The Commission, vide the referred letter, had requested all the political parties to submit their manifestos to the Commission after its release.

2. The Commission has further decided that, whenever a political party issues its manifesto, it must forward three copies of the Manifesto along with its Hindi/English version (if the original version is in regional language) to the concerned Chief electoral Officer within three days of its release. Along with it, the parties must also submit a declaration that the program/policies and promises made therein are in consonance with Para-VIII of MCC. This may be done for the elections to be conducted henceforth.
3. I am to request that you may give suitable instructions to your party functionaries in this regard.



विधानसभा निर्वाचन 2018 की घोषणा उपरांत प्रत्येक दिन की जाने वाली  
कार्यवाही— दिनांक 06.10.2018 से 07.10.2018

कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था

हथियार जप्ति संख्या—59

शस्त्र जमा किये गये—33000

गैर जमानती वारंट की तामीली—1039, शेष 73,357

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही— 1599

निर्वाचन संबंधी हिंसा— 0

सम्पत्ति का विरूपण

शासकीय सम्पत्ति — 1,23,165 प्रकरण पंजीबद्ध, 1,03,449 प्रकरणों में कार्यवाही

निजी सम्पत्ति— प्रकरण पंजीबद्ध 25,402 कार्यवाही—9700

वाहनों का दुरुपयोग—233 प्रकरण पंजीबद्ध

कुल प्रकरण पंजीबद्ध प्रकरण—1,49,151 एवं 4 एफआईआर

प्रमुख शिकायतें

जिला दमोह, विधानसभा क्षेत्र दमोह

विवरण—मंत्री के फोटो लगे हुये बैग महिला स्वसहायता समूह को वितरण संबंधी।

की गई कार्यवाही— फ्लांइंग स्कॉड द्वारा तत्काल कार्यवाही कर 600 बैग (जिसमें अगरबत्ती, साबुन, वांशिग पाउडर, सेनेट्री नेपकिन आदि) जब्त किये गये। प्रकरण में u/s 188 IPC, 171- B (2) & u/s 123 (1) RPA एफआईआर दर्ज की गई।

**प्रेस विज्ञप्ति**  
**निर्वाचन संचालन**  
**दिनांक 08.10.2018**

**1. निर्वाचन घोषणा पत्र**

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राजनैतिक दलों को उच्चतम न्यायालय के आदेश वर्ष 2008 के तहत, राजनैतिक दलो द्वारा जारी किये जाने वाले "निर्वाचन घोषणा पत्र" के संबंध में मार्गदर्शी दिशा निर्देश जारी किये हैं। यह भी निर्देश दिये गये है कि राजनैतिक दलों द्वारा जारी किये जाने वाले निर्वाचन घोषणा पत्र की 3 प्रतियां (अंग्रेजी/हिन्दी) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को जारी करने के तीन दिन के भीतर दी जावेगी। साथ ही राजनैतिक दलों के द्वारा इस संबंध में एक घोषणा की जावेगी कि आदर्श आचरण संहिता के पैरा-8 के तहत ही नीति/कार्यक्रम एवं वादे किये गये है।

**2. स्टार प्रचारक**

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.04.2014 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण 1 एवं 2 के प्रावधानों के अनुसार कोई राजनैतिक दल स्पष्टीकरण 1 के खण्ड 'क' के प्रयोजन के लिए दल के नेताओं की सूची संप्रेषित कर सकता है। उपरोक्त सूची निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- i. जहां ऐसे दल जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल एवं राज्यीय दल है, वहां स्टार प्रचारको की संख्या 40 तक हो सकती है।
- ii. जहां ऐसे राज्यीय दल जो अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल नहीं है, वहां यह संख्या 20 तक हो सकती है।

**विषय:-** निर्वाचन व्यय की निगरानी हेतु एफ.एस.टी., व्ही.एस.टी., व्ही.व्ही.टी. का गठन बाबत।

विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2018 में निर्वाचन व्यय की निगरानी करने के लिये एफ.एस.टी.- 848 एस.एस.टी.-840 का गठन किया गया है, 452 अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर चैक पोस्ट बनाये गये हैं। एस.एस.टी. का कार्य चैक पोस्ट में सड़क मार्ग से आने वाले वाहनों की चैकिंग करना है और चैकिंग के दौरान जो भी अवैध सामग्री जैसे अवैध नगद राशि, अवैध सोना-चांदी, अवैध शराब, प्रचार-प्रसार की अवैध सामग्री को चेक करना है तथा नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करना है।

**एफ.एस.टी. :-** जिसे फलाइंग स्कॉट कहते हैं। यह दल कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में गठन किया जाता है। इसमें पुलिस बल भी शामिल रहता है। यह दल अपने निर्धारित क्षेत्र में गश्त करता रहता है जिसके दौरान कोई अवैध गतिविधियां दिखाई देती हैं तो उनको रोकने का कार्य करता है साथ ही किसी भी माध्यम से यदि उसे निर्वाचन से सम्बन्धित अवैध गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है तो यह दल तत्काल मौके पर पहुंच कर कार्यवाही करता है।

**विडियो सर्वलेंस टीम-(व्ही.एस.टी) :-** यह दल उसके निर्धारित क्षेत्र में होने वाली सभाओं रेलियां आदि की विडियो रिकार्डिंग करता है। इस रिकार्डिंग को विडियो वीविंग टीम (व्ही.व्ही.टी.) उसका परीक्षण करती है जिसका मिलान उम्मीदवार के द्वारा दिये गये खर्चों से किया जाता है।